फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर

सहीराम वगैरह —बनाम— धूड़ाराम वगैरह

किस्म मुकदमा — 88,53, 188 आर.टी.ए मुकदमा नम्बर — **2020 / 00009**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/22	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित आकर जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जिसके संबंध में राजीनामा दिनांक 21.02.2022 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अतः प्रकरण में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 21.02.2022 को पक्षकरान ने राजीनामा न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने वादगत भूमि को कोपार्सनरी सम्पति बताते हुए अपने अधिकारों की घोषणा के लिये वादगत भूमि वाके रोही स्वरूपदेसर खसरा नंबर 196/2 तादादी 9.77 हैक्टर में 1/9–1/9 हिस्से के लिये दावा पेश किया। दावा पेश करने के दौरान वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से से अधिक व विशेष हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को बैय कर दी, लेकिन दावा में जारी अस्थायी निशेधाज्ञा के कारण खरीददार प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हुआ तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 द्वारा विशेष हिस्से की भूमि पर क़ब्जा करने की तैयारी करने पर विवाद हुआ। अतः वाद को सुलझाने हेतु हम पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व आपसी समझाई व सहमति से राजीनामा पेश कर रहे हैं। राजीनामा के अनुसार वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 9 दावा को निम्नानुसार घोषणा	

अध्यक्ष
लोक अदालत
बीकानेर

सदस्य
लोक अदालत
बीकानेर

सदस्य
लोक अदालत
बीकानेर

करवाते हुए विभाजन करवाकर निर्णत करवाने पर सहमत हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादीगण का संयुक्त रूप से 5.4277 हैक्टर हिस्सा होना माना है। इसलिये वादीगण को वादगत भूमि में 5.4277 हैक्टर यानि प्रत्येक वादी को 1.08554 का खातेदार घोशित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को 1/9 हिस्से के हिसाब से 3.29 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को बैय करने के बाद शेष हिस्से 1.0523 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 को उनके पक्ष में हुए बैनामे के अनुसार 3.29 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण को 12 फुट रास्ता गांव स्वरूपदेसर से खेतों की ओर जाने वाले रास्ते में से पश्चिम में दक्षिण सीमा पर रास्ता स्वीकार किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 निरमा पुत्री धूड़ाराम न्यायालय में उपस्थित आने के उपरान्त राजीनामा के संबंध में कोई तथ्य ना बताये जाने से ज्ञात हुआ की प्रार्थीया निरमा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, जिनकी ओर से उनके संरक्षक पिता धूडाराम ने वाद मित्र के तौर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत कर बहैसियत संरक्षक राजीनामा पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 निरमा के संरक्षक पिता धूड़ाराम को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 निरमा की पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया गया।

वाद वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री दी जाती है कि तहसील बीकानेर के ग्राम स्वरूपदेसर के खसरा नंबर 196/2 तादादी 9.77 हैक्टर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः सहीराम,

अध्यक्ष
लोक अदालत
बीकानेर

सदस्य
लोक अदालत
बीकानेर

सदस्य
लोक अदालत
बीकानेर

पूनमचंद, मुनीराम, राजूराम एवं शांतिलाल का कुल 5.4277 हैक्टर बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 1.08554, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 क्रमशः धूड़ाराम, शिवलाल, सीमा एवं निरमा जरिये संरक्षक पिता धूड़ाराम का कुल 1.0523 हैक्टर बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 क्रमशः लक्ष्मी, दुर्गा, अंजू एवं विमला का कुल 3.29 हैक्टर बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा खसरा नंबर 196/2 के पश्चिम में दक्षिण सीमा पर 12 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर ग्राम स्वरूपदेसर के खसरा नंबर 196/2 तादादी 9.77 हैक्टर में वादी संख्या 1 सहीराम का 1.08554 हैक्टर, वादी संख्या 2 पूनमचंद का 1.08554 हैक्टर, वादी संख्या 3 मुनीराम का 1.08554 हैक्टर, वादी संख्या 4 राजूराम का 1.08554 हैक्टर एवं वादी संख्या 5 शांतिलाल का 1.08554 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1.0523 हैक्टर, प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 9 का 3.29 हैक्टर का प्रस्तुत राजीनामा एवं नक्शा अनुसार खाता विभाजन कर अलग-अलग खाता कायम करें तथा खसरा नंबर 196/2 के पश्चिम में दक्षिण सीमा पर 12 फुट रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। राजीनामा एवं नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय व डिक्री की प्रति वास्ते अमल-दरामद तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संबंधित न्यायालय में भिजवायी जावे।

अध्यक्ष लोक अदालत बीकानेर	सदस्य लोक अदालत बीकानेर	सदस्य लोक अदालत बीकानेर